[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2024

सा.का.िन. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2024- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 3 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.िन. 12 (अ), दिनांक 3 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, पृष्ठ 4 पर, पंक्ति संख्या 17 से 21 में,

"प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-३, उपखंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.िन. 776(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-३, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।" के स्थान पर,

"प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.िन. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उपखंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2023- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.िन. 776(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।" पढ़ें।

[फा. सं. - 190354/223/2023-टी.आर.यू]

(नितिश कर्नाटक) अवर सचिव, भारत सरकार